संख्या-22/1406/41-2014-244 सा0/13

प्रेषक,

अमृत अभिजात,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

1 महानिदेशक,
पर्यटन विभाग,
उ0प्र0।

2 प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0,
लखनऊ

पर्यटन अनुभाग लखनऊ:: दिनांक:: 18 जून, 2014

विषय: प्रदेश में वायुसेवा संचालित करने हेतु नीति के सम्बन्ध में।

महोदय,

पर्यटन को बढ़ावा देने के उददेश्य से उत्तर प्रदेश राज्य में वायु सेवा संचालित करने हेतु शासनादेश संख्या-1301/41-2014-244 सा0/13 दिनांक 16.06.2014 द्वारा नीति निर्धारित की गयी है। उक्त शासनादेश में प्रदेश में चिन्हित मार्गो पर वायु सेवा संचालन हेतु शिडयूल्ड अथवा नान शिडयूल्ड एयर लाइन्स के वायुसवा प्रदाताओं को कतिपय सुविधायें/अनुदान उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान किया गया है, जिसमें यह उल्लिखित है कि उत्तर प्रदेश में वायुसेवा संचालन हेतु निर्धारित वायु मार्गो पर कतिपय शर्तो के अधीन सीट अण्डरराइट किया जायेगा।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत नीति में उल्लिखित 'अण्डरराइट' अर्थात सीटों को खरीदने का वायदा (Underwrite) शब्द का तात्पर्य यह है कि वायु सेवा प्रदाता द्वारा विभिन्न वायुमार्गो के लिये कुछ सीटें राज्य सरकार के उपयोग के लिए आरक्षित की जायेगी। इन आरक्षित सीटों के लिये विभिन्न

http://shasanadesh.up.nic.in

वायुमार्गो पर किराये का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। विभिन्न वायुमार्गो पर आरक्षित सीटों पर राज्य सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्ति/अधिकारी यात्रा कर सकेगें। यदि किसी वायुमार्ग पर आरक्षित सीट पर अधिकृत व्यक्ति/अधिकारी यात्रा नहीं करते हैं तो वह सीट वायुसेवा प्रदाता द्वारा खुले बाजार में बेची जा सकेगी। जो भी आरक्षित सीट खाली जायेगी उसका भुगतान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर (रू0 15 प्रति किलोमीटर वायु मार्ग दूरी की निर्धारित दर) पर वायुसेवा प्रदाता को किया जायेगा। इसका अर्थ यह है कि प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न वायुमार्गो पर सीटों को खरीदने का वायदा (Underwrite) किया जायेगा। यदि राज्य सरकार की आरक्षित सीट का उपयोग राज्य सरकार से अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी नहीं करते और वायुसेवा प्रदाता द्वारा ऐसी सीट को खुले बाजार (Open Market) में विक्रय कर दी जाती है तो विक्रय की गई सीट पर वायुसेवा प्रदाता को राज्य सरकार द्वारा कोई राशि देय नहीं होगी।

वायु सेवा संचालन हेतु सीट अण्डरराइट किये जाने के कतिपय उदाहरण निम्नाकिंत हैं-

(1) यदि किसी उड़ान पर कुल उपलब्ध 10 सीटों में से 30 प्रतिशत सीटों (कुल तीन सीट) का वायदा (Underwrite) राज्य सरकार द्वारा किया गया है तथा वायु सेवा प्रदाता द्वारा सात सीटे खुले बाजार में विक्रय कर दी गयी है एवं तीन सीटें रिक्त हैं अर्थात राज्य सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्ति/अधिकारी यात्रा नहीं कर रहें है तो ऐसी दशा में राज्य सरकार द्वारा रिक्त तीन सीटों का निर्धारित किराया वायु सेवा प्रदाता को दिया जायेगा।

(2) यदि वायु सेवा प्रदाता द्वारा किसी उड़ान पर उपलब्ध कुल दस सीटों में से सात सीटें खुले बाजार में विक्रय कर दी जाती है तथा एक सीट राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कर्मचारी/अधिकारी द्वारा भरी जाती है तो शेष दो रिक्त सीटों का निर्धारित किराया राज्य सरकार द्वारा वायु सेवा प्रदाता को दिया जायेगा।

(3) यदि किसी उड़ान पर उपलब्ध कुल दस सीटों में से वायु सेवा प्रदाता द्वारा नौ सीटें खुले बाजार में विक्रय कर दी जाती है तथा राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई कर्मचारी/अधिकारी यात्रा नहीं करता है तो रिक्त एक सीट का निर्धारित किराया राज्य सरकार द्वारा वायु सेवा प्रदाता को दिया जायेगा।

http://sifasanadesh.up.nic.in

(4) यदि किसी उड़ान पर उपलब्ध कुल दस सीटों में तीन सीटों पर राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कर्मचारी/अधिकारी यात्रा करते हैं तथा शेष सात सीटें रिक्त रह जाती हैं तो राज्य सरकार द्वारा वायु सेवा प्रदाता को कोई धनराशि देय नहीं होगी। इसी प्रकार यदि किसी उड़ान पर उपलब्ध सभी दस सीटें रिक्त रह जाती हैं तो ऐसी दशा में राज्य सरकार द्वारा वायदा (Underwrite) किये गये तीन सीटों (30 प्रतिशत) के निर्धारित किराये की धनराशि वायु सेवा प्रदाता को दी जायेगी।

भवदीय,

(अमृत अभिजात)
सचिव

संख्या- (1)/41-2014 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 ।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 ।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(श्याम मोहन तिवारी)
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in